न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व वाद पत्र सख्या .....88 / 2012

1. श्री पांचू पुत्र श्री गंगाराम गुर्जर
2. श्रीमती राधा पत्नी श्री पांचू गूर्जर
3. श्री भालू पुत्र श्री पांचू गुर्जर
   सभी जाति गुर्जर एवं निवासीगण ग्राम – अमरपुरा ग्राम पंचायत–देवास, तहसील–मसूदा, जिला – अजमेर ।

.........वादीगण

बनाम

1. जेता पुत्र श्री सोनाथ गुर्जर
2. मादू पुत्र श्री हालू गुर्जर
3. सांवरा पुत्र श्री रामा गुर्जर
   तीनों जाति गुर्जर एवं निवासीगण ग्राम अमरपुरा, ग्राम पंचायत देवास, तहसील–मसूदा, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरीये श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय बिजयनगर, तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरीये श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।

........प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 28.05.2016

इस वाद पत्र में वादीगण ने सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र भ्पाहेली कलां भू.अ.नि. क्षेत्र रामगढ़ तहसील मसूदा हाल बिजयनगर, जिला अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 399, 201, 209, 307, 205 व 206 वादीगण की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियां है इनके ऊपरी हिस्से में ख.नं. 226 गै.मु. पाल में लागायत बरसाती नाडी बनी हुई है जिसके पानी से एक नहर द्वारा वादीगण की उक्त आराजी की वर्षों से सिचांई होती आ रही है । लेकिन प्रतिवादीगण पक्का निर्माण कर इस नहर को रोकने पर आमादा है । संबंधित अधिकारियान से निवेदन करने पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है इसलिए वाद लाना पड़ा है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर यह घोषित किया जावे कि

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रतिवादीगण को नहर बंद करने के अधिकार नहीं है तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को नहर रोकने से निषेध किया जावे ।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प देवास पर पेश हुई । पक्षकारान उपस्थित इन्हे सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है । अतः स्वीकार किया जाता है ।

वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि मौजा अमरपुरा पटवार क्षेत्र रूपाहेली कब्जा स्थित वादीगण की आराजी ख.नं. 399, 201, 209, 307, 205 व 206 में ख.नं. 226 से लगायत नाडी से आने वाली नहर को रोकने के अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है तथा उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा नहर को खुर्द बुर्द करने एवं अवरूद्ध करने आदि से निषेध किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम देवास पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

(सुरेश चावला)
यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं ... मसूदा (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.24 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: